



राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या- 169/2012.....जिला.....अजमेर.....

उनवान- मैसर्स श्री सीमेन्ट लि0, ब्यावर अजमेर बनाम सीटीओ, विशेष वृत्त-अजमेर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28.04.2017	<p style="text-align: center;"><b>खण्डपीठ</b> <b>श्री खेमराज चौधरी-अध्यक्ष</b> <b>श्री मदन लाल-सदस्य</b></p> <p>पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी व्यवसायी के अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा विद्वान बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, जो पत्रावली पर उपलब्ध है। विभाग की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक श्री डी.पी.ओझा उपस्थित।</p> <p>अपीलार्थी ने वर्तमान में राजस्थान सरकार द्वारा प्रसारित न्यू एमेनेस्टी स्कीम के तहत लाभ प्राप्त करने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस अपील को विद्वान करने का निवेदन किया है, जिस पर उप-राजकीय अभिभाषक डी.पी.ओझा को कोई ऐतराज नहीं है।</p> <p>अतः अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील संख्या 169/2012/अजमेर जरिये विद्वान खारिज की जाती है।</p> <p>आदेश सुनाया गया</p> <p style="text-align: center;"> सदस्य राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p> <p style="text-align: center;"> अध्यक्ष राजस्थान कर बोर्ड अजमेर</p>	